लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/ई/2009/330 भोपाल दिनांक 05/05/2009

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषयः– शालाओं के समय पर खुलने और बन्द होने के संबंध में।

विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह बिन्दु उभरकर आया है कि विद्यालयों में समय विभाग चक्र के अलावा इसका उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं किया गया है कि विद्यालय कितने बजे खुलता है एवं कितने बजे बन्द होता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि **प्रत्येक विद्यालय की बाहरी दीवार पर बड़े अक्षरों में विद्यालय के खुलने का समय एवं विद्यालय के बन्द होने के समय का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाये।**

छात्र कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका के वितरण के दौरान भी यह निर्देश दिये गये थे कि सभी योजनाओं की जानकारी विद्यालय के बाहर चस्पा की जाये। अनेक विद्यालयों में अभी भी यह कार्य नहीं किया गया है अतः इसका पालन भी सुनिश्चित किया जाये।

विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान भी इस बिन्दु का ध्यान रखा जाये कि विद्यालय में उक्तानुसार जानकारी बाहरी दीवार पर अंकित है अथवा नहीं। निरीक्षण प्रपत्र में पृथक् से इसका उल्लेख भी किया जाये।

(बी. आर. नायडू)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन/ क्रमांक/विद्या/ई/2009/331 भोपाल दिनांक 05/05/2009

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल
3. आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल
4. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश
5. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश